प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 20-12-2022

विषय:- जिला कारागार, बहराइच में निरूद्ध विचाराधीन बंदी देवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह पुत्र स्व0 रामफल सिंह को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार पर स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-38206/सामा-1(8)/114/बंदी स्था0/2022, दिनांक 06-12-2022 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118 सपठित-385 में निहित प्रावधानों के अनुसार जिला कारागार, बहराइच में निरूद्ध विचाराधीन बंदी देवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह पुत्र स्व0 रामफल सिंह, निवासी ग्राम-मोहनपुरमाफी, थाना-पयागपुर, जनपद-बहराइच, हाल पता-मोहल्ला रायपुर राजा, केडिया अस्पताल के पीछे, थाना-को0देहात, जनपद-बहराइच को प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार, फिरोजाबाद स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच/फिरोजाबाद।

5- पुलिस अधीक्षक, बहराइच/फिरोजाबाद ।

6- अधीक्षक, जिला कारागार, बहराइच को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को जिला कारागार, बहराइच से जिला कारागार, फिरोजाबाद में स्थानांतरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।

7- अधीक्षक, जिला कारागार, फिरोजाबाद।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।